# झारखण्ड सरकार
# झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/32/18– 107 ,राँची/दिनांकः 25/10/2018

## NEET (UG) -2018 के परीक्षाफल आधारित अंतिम राज्य मेधा–सूची से आयुष स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों (Ayush-UG Level Courses) में नामांकन के निमित्त साक्षात्कार (Counselling) के आयोजन से संबंधित विस्तृत सूचना

पर्षद कार्यालय के विज्ञापन संख्या–जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/32/18–35 दिनांक–22.06.2018 तथा विज्ञापन संख्या–जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/32/18–71 दिनांक–06.08.2018 के आलोक में NEET (UG)- 2018 में शामिल अर्हरित (Qualified) आवेदकों से प्राप्त ऑन–लाईन आवेदन पत्रों के आधार पर निर्मित अंतिम राज्य मेधा–सूची पर्षद के अधिकृत वेबसाईट http://jceceb.jharkhand. gov.in के Homepage में Downloads Column में उपलब्ध है।

2. साक्षात्कार ऑफ–लाईन (Off-line) माध्यम से की जाएगी। संस्थान–वार/पाठ्यक्रम–वार अद्यतन रिक्त सीटों की जानकारी, पर्षद के अधिकृत वेबसाईट के Homepage में Downloads Column पर Click कर प्राप्त कर सकते हैं। अतः सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार में भाग लेने के पूर्व उपलब्ध सीटों की अद्यतन स्थिति से अवगत होकर ही साक्षात्कार में भाग लें। इस साक्षात्कार में वैसे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो या तो पूर्व में आयोजित साक्षात्कारों के आधार पर संस्थानों में नामांकित हैं या नामांकन हेतु अनुशंसा के उपरांत संस्थानों में नामांकन नहीं करा सके हैं या पूर्व में आयोजित साक्षात्कारों में उपस्थित नहीं हो सके हैं या फिर उपस्थित होकर संस्थान/ पाठ्यक्रम/सीट का चयन नहीं किये हैं।

3. **स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, रॉंची द्वारा पत्रांक–सं0सं0–20/आयुष–स्था0–10/ 2018–392 (20) दिनांक–12.10.2018 के माध्यम से पर्षद को सूचित किया गया है कि माँ कलावती होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल, राजाउलातु, नामकुम, राँची एवं दी होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल, मिहिजाम, जामताड़ा को शैक्षणिक वर्ष 2018–19 में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार से नामांकन लेने की अनुमति नहीं प्रदान की गयी है। तद्आलोक में पर्षद द्वारा पूर्व में आयोजित साक्षात्कारों में संबंधित संस्थानों में नामांकन हेतु अनुशंसित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों, यदि किसी अन्य होमियोपैथिक/आयुर्वेदिक संस्थान में नामांकन के लिए इच्छुक हैं तो वे, इस साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं।**

4. पूर्व में आयोजित साक्षात्कारों के आधार पर संस्थानों में नामांकित अभ्यर्थियों द्वारा अपने पूर्व आवंटित संस्थान /पाठ्यक्रम /सीट के पुर्नआवंटन हेतु नामांकन शुल्क (Admission fee) के रसीद की मूल प्रति, संस्थान के प्रमुख द्वारा निर्गत वास्तविक प्रमाण पत्र (Bonafide certificate) जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि संस्थान के स्तर पर कौन–कौन से मूल प्रमाण–पत्र रखे गये हैं तथा संस्थान में जमा किये गये प्रमाण–पत्रों की छाया–प्रति जो संस्थान के प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित हो, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट का आवंटन नहीं किया जायेगा। वैसे नामांकित अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें संस्थान के प्रमुख द्वारा जाति प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छाया–प्रति प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

5. साक्षात्कार में आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों (Ayush-UG Level Courses) में नामांकन के लिए निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

6. साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के समय, निम्नलिखित प्रमाण–पत्र/दस्तावेज मूल रूप (Original) में तथा उनकी एक–एक छायाप्रति (Xerox) जो कि स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) हो, साथ में लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की सिर्फ छायाप्रति (Xerox) या फैक्स कॉपी (Fax Copy) उपलब्ध कराने पर, उनकी मान्यता नहीं दी जाएगी और ना ही इस आधार पर संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट का आबंटन किया जाएगा।

**(क)** दसवीं/माध्यमिक/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण–पत्र, **(ख)** इण्टरमीडिएट साईस/10+2/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण–पत्र **(ग)** NEET (UG)- 2018 के आधार पर पर्षद द्वारा निर्गत राज्य मेधा–सूची की अधभारित (Download) प्रति **(घ)** झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त {Deputy Commissioner} द्वारा झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0 – 3198, दिनांक 18.04.2016 के आलोक में निर्गत पत्र, पत्र सं0–14/स्थानीयता नीति–14–03/2016 का0–4650 दिनांक 02.06.2016 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में जारी स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, **(ड़)** झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में)।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के ज्ञापांक 7/जाति–19–11/2008 का॰–10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा एवं **(च)** दिब्यांग अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निर्गत तथा चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण–पत्र।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास उपरोक्त (घ) एवं (ङ) में वर्णित प्रमाण–पत्र/पत्रों, सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा वांछित अद्यतन प्रपत्र में निर्गत नहीं है तो अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध प्रमाण पत्र/पत्रों **तथा** नये विहित प्रपत्र में ऑनलाईन स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र को बनवाने के लिये आवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा साक्षात्कार के समय संबंधित प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें भी संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट का औपबंधिक आवंटन किया जायेगा।

7. इस विज्ञापन की उपरोक्त कण्डिका–6 में दर्ज वांछित मूल प्रमाण–पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में सीट आबंटन नहीं किया जाएगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।

8. साक्षात्कार के समय आधार कार्ड की मूल–प्रति साथ में लाना अनिवार्य (Essential) है।

9. साक्षात्कार शुल्क :– सामान्य/पिछड़ी जाति – I/पिछड़ी जाति – II कोटि के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए ₹ 500/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि/सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों को ₹ 300/– आवेदन एवं साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

**साक्षात्कार शुल्क जमा करने का तरीका:–**

क) साक्षात्कार शुल्क की राशि P.O.S. Machine पर Swipe कर पर्षद कार्यालय में जमा किया जा सकता है जिसके लिये अभ्यर्थी को अपने पास **ATM/Debit Card** साथ में रखना अनिवार्य है।

**या**

ख) बैंक चालान (Bank Challan) के माध्यम से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा किया जा सकेगा। बैंक चालान (Bank Challan) की प्रति अधिकृत वेबसाईट पर Downloads कॉलम में उपलब्ध है जिसमें खाता संख्या एवं अन्य जानकारियॉ उपलब्ध है।

**नोट (a):–** साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य है अन्यथा उन्हें साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जायेगा।

10. **आबंटित संस्थान में नामांकन लेने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों के औपबंधिक सीट आबंटन पत्र में अंकित रहेगा।**

11. **साक्षात्कार स्थल** :– झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम–तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।

12. साक्षात्कार, सामान्य मेधा–सूची (Common Merit List) मेधाक्रमानुसार आयोजित की जायेगी। अतः आरक्षित कोटि यथा SC/ST/BC–I/BC-II, के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे सामान्य मेधा–सूची मेधाक्रमानुसार, निर्धारित साक्षात्कार के दिन अनारक्षित कोटि के लिए आरक्षित संस्थानों/पाठ्यक्रमों/सीटों के साथ–साथ अपने आरक्षित कोटि के लिए कर्णांकित संस्थानों/पाठ्यक्रमों/सीटों का भी चयन कर सकते हैं। अतः वे सामान्य मेधाक्रम से आयोजित साक्षात्कार के दिन ही अपने आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण–पत्र अवश्य लावें।

13. नामांकन हेतु अनुशंसा के लिए सफल अभ्यर्थियों के पात्रता तथा पहचान, प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के सत्यापन/जाँच एवं सीट आबंटन के लिए साक्षात्कार (Counseling) कार्यक्रम, तिथि एवं समय सहित, मेधाक्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है। **किसी कोटि/कोटा में जिस मेधाक्रम से सीटें भर जायेंगी, उस मेधाक्रम के बाद उस कोटि/कोटा के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।**

साक्षात्कार निम्न कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जायेगी :–

| Final State CML Rank (अंतिम राज्य सामान्य मेधा–सूची मेधाक्रम) | | |
|---|---|---|
| Rank Range | | Counselling Date & Time |
| From | To | |
| 1 | 2,767 | 29.10.2018/10:00 AM |

14. प्रत्येक कोटि/कोटा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। अतः सभी अभ्यर्थियों को संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट आबंटन की गारंटी नहीं है।

15. साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है। आवंटित संस्थान में नामांकन के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

16. जिन अभ्यर्थियों के क्रमांक उपरोक्त कंडिका–13 में अंकित अंतिम राज्य सामान्य मेधा–सूची के अंतर्गत मेधाकम–अंतराल में शामिल हैं, उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि वे इस विज्ञप्ति के माध्यम से ही साक्षात्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किये जाते हैं। इस सूचना के आधार पर ही वे निर्धारित साक्षात्कार तिथि एवं समय पर, साक्षात्कार में, निश्चित रूप से उपस्थित हों अन्यथा उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा। इसके लिये पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा।

17. साक्षात्कार के दौरान यदि अभ्यर्थी अपने मेधाकमानुसार उपस्थित होते हैं और सभी वांछित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं अथवा अपने मेधाक्रमानुसार निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तथा चालू साक्षात्कार के दौरान सभी वांछित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों के साथ बाद में उपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में उस दिन/समय पर उपलब्ध संस्थानों/पाठ्यकमों/सीटों के आलोक में ही उनको सीट के विकल्प का चयन करना होगा।

18. किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में **परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद** का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

19. साक्षात्कार से संबंधित जानकारी हेतु पर्षद के अधिकृत वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in और/या दूरभाष स० 9264473891/9264473893 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

**परीक्षा नियंत्रक के आदेशानुसार,**

(हस्ताक्षर)

**(रंजीता हेम्ब्रम, झा.प्र.से.)**
उप परीक्षा नियंत्रक